(215)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी R-1427-II-17

श्री पी० के० तिवारी एड. द्वारा आज दि. 19-5-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

19-5-17

राजेन्द्र प्रसाद पुत्र हरदयाल, जाति ब्राम्हण, निवासी ग्राम सिनौर, परगना गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

-- आवेदक

बनाम

1. श्रीमती काशीबाई पत्नी स्व0श्री मेवाराम शर्मा, जाति ब्राम्हण, निवासी ग्राम सिनोर, तहसील गोहद, जिला भिण्ड, हाल निवासी लाल साहब का बगीचा एस0एल0पी0 कॉलेज के सामने, मुरार, जिला ग्वालियर (म0प्र0)

2. गीता शर्मा पुत्री श्री मेवाराम शर्मा पत्नी राकेश शर्मा, निवासी लाल साहब का बगीचा, एस0एल0पी0 कॉलेज के सामने, मुरार, ग्वालियर (म0प्र0)

3. मीना शर्मा पुत्री श्री मेवाराम शर्मा पत्नी रमेश शर्मा, निवासी ग्राम बढकरा तहसील अम्बाह, जिला मुरैना (म0प्र0)

4. ऊषा शर्मा पुत्री श्री मेवाराम शर्मा पत्नी आशीष राजौरिया, निवासी ग्राम कन्हाडी, तहसील मेहगांव, जिला भिण्ड (म0प्र0)

5. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री ग्यासीराम जाति ब्राम्हण, निवासी ग्राम सिनौर, परगना गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

-- अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 20.04.2017 द्वारा पारित अपर आयुक्त महोदय, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 193/2016–17 अपील।

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः–

1. यहकि, ग्राम रामपुरा, तहसील गोहद, जिला भिण्ड के आराजी क्रमांक 11 रकवा 0.11 हैक्टेयर, 19 मिन रकवा 0.23 हेक्टेयर, 26, रकवा 104 हैक्टेयर, 71, रकवा 2.17 हैक्टेयर, 115 रकवा 0.84, 137, रकवा 2.02, 175, रकवा 2.32, 370 रकवा 0.35ए 385 रकवा 0.27, 229/436 रकवा 0.43 हैक्टेयर, कुल किता 10, कुल रकवा 9.96 हैक्टेयर लगानी 87 रूपये 76 पैसे का एक खाता स्थित है। उपरोक्त भूमि आवेदक को जरिये आपसी सहमति बंटवारा के द्वारा प्राप्त हुयी है, जिसका तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 10/2014–15/अ–27 से पारित आदेश दिनांक 11.09.2015 के पालन में राजस्व कागजात में अमल किया गया है। तत्पश्चात् तहसीलदार महोदय द्वारा आदेश दिनांक 18.09.2015 के द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किये हुए पूर्व में पारित आदेश दिनांक 10.09.2015 प्रकरण क्रमांक 10/2014–15/अ–27 को स्वमेव रिब्यू में लेकर तथा बिना आवेदक को सूचना दिये एवं सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान किये बिना निरस्त कर दिया गया, जिस कारण आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय, गोहद, जिला भिण्ड के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की, जो प्रकरण क्रमांक 2/2015–16 अपील माल पर दर्ज की गयी, जिसमें विधिवत रूप से सुनवाई का अवसर देते हुए तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.09.2015 इस आधार पर निरस्त किया गया कि तहसीलदार महोदय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 11.09.2015 को धारा 51 म0प्र0

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1427–दो/17 जिला–भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
28 –9–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री पी0 के0 तिवारी उपस्थित होकर उनके द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 193/अपील/2016–2017 में पारित आदेश दिनांक 20.4.17 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। आवेदक अधिवक्ता श्री पी0 के0 तिवारी द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। अनावेदक अधिवक्ता श्री आर0 एस0 सेंगर उपस्थित। उनके द्वारा अपने तर्क में बताया गया है कि अपर आयुक्त कें आदेश के विरूद्व दिये गये स्थगन आदेश जिसकी अवधि भी दिनांक 20.6.17 को समाप्त हो चुकी है, के विरूद्व प्रस्तुत होने से यह निगरानी आवेदन पत्र अब व्यर्थ हो चुका है। उपरोक्त परिस्थिति में वर्तमान निगरानी व्यर्थ (infructuous) हो जाने से इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। 3–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्को पर विचार किया, एवं संलग्न दस्तावेजों एवं अभिलेख का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त के न्यायालय का अभिलेख भी इस	

न्यायालय में आने से वहां कोई प्रकिया संचालित नहीं है, एवं इस न्यायालय द्वारा दिया गया स्थगन भी समाप्त हो चुका है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर वर्तमान निगरानी व्यर्थ (infructuous) हो जाने से इसी स्तर पर समाप्त की जाती है।

सदस्य